

श्रीलवाडा
अति निम्न कलक्टर

(Handwritten signature)

निगराकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत विपक्षीगणों के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 7 द्वारा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज श्री किशन सिंह जी राठौड़ के पक्ष में जो पट्टा जारी किया होना बताया है वह नियमों एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज स्व० श्री किशनसिंह जी राठौड़ को निराकरण का पट्टा जारी किया जाना बताया, उक्त स्थान पर श्री किशन सिंह जी का एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 का कोई

दिनांक 28.08.2025

निम्न

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री भूखलाल बापना अधिवक्ता - श्री निगराकार संख्या 01 व 05 की ओर से

उपस्थित -

बाबत।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम पंचायत अटटाली के द्वारा पंचायती कमांक 36/29.11.1976 निरस्त कराने

- श्री निगराकार

- निगराकार



1. महावीर पिता भवरसिंह रावणा बराम 1. शिवप्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह राठौड़ निवासी अटटाली तहसील आसीद
2. रामदयाल पिता नाराम सुथार निवासी अटटाली तहसील आसीद
3. वनश्याम सिंह पुत्र किशन सिंह राठौड़ निवासी अटटाली तहसील आसीद
4. श्रीमती कौशल्या कवर पुत्री किशन सिंह राठौड़ निवासी अटटाली तहसील आसीद
5. लक्ष्मण कवर पुत्री किशन सिंह राठौड़ निवासी अटटाली तहसील आसीद
6. ग्राम पंचायत अटटाली जरीए सरपंच ग्राम पंचायत अटटाली तह आसीद जिना श्रीलवाडा

1. महावीर पिता भवरसिंह रावणा बराम 1. शिवप्रताप सिंह पुत्र किशन सिंह राठौड़ निवासी अटटाली तहसील आसीद
2. रामदयाल पिता नाराम सुथार निवासी अटटाली तहसील आसीद
3. रामदेव पिता धीरू देगर निवासी अटटाली तहसील आसीद
4. गणपतलाल पिता कपालाल चाई निवासी अटटाली तहसील आसीद जिना श्रीलवाडा

(पीठस्थीन अधिकायी आमपकाश सहेय आर0ए0एफ00)
प्रकरण संख्या - 93/2025 - निगरानी

न्यायालय अतिरिक्त जिना कलक्टर, श्रीलवाडा

श्री विना कलक्टर
श्री विना कलक्टर

21

श्री विना कलक्टर श्री विना कलक्टर के पक्ष में जो पेटेंट किया हुआ है वह नियमों एवं दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 7 द्वारा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दुओं को प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रसूत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षीगणों को नोटिस को जारी होना बताया है, उसे निरस्त किये का आदेश प्रदान करमाया जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज के नाम जो पेटेंट पत्रावली संख्या 36 दिनांक 29.11.1976 आशीन्द में स्थित है। प्रार्थना की निगरानी स्वीकार करमायी जाकर विपक्षी संख्या 6 द्वारा पत्रावली व रेकर्ड उपलब्ध ही नहीं है। वादग्रस्त पेटेंट की जायदाद ग्राम अण्टाली तहसील के द्वारा उपयोग उपयोग किया जाना बताया। पचायत में तथाकथित पेटेंट की कोई भी माँका देखने आय एवं माँके पर प्रार्थना व अन्य व्यक्तियों के मकान गुवाडी, व बाड़े बने वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिस पर कमिश्नर साहब माननीय सिविल न्यायालय आशीन्द के समक्ष प्रसूत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा माँके की बाड़ा बनाकर उपयोग उपयोग कर रहे है। उस स्थान का पेटेंट हुए एक वादग्रस्त फिर भी जहां निगराकारान व गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा वर्षों से पक्के मकान, गुवाडी व जो पेटेंट जारी किया जाना बताया है वहां वह पेटेंटों का माँके पर कोई भूखण्ड नहीं है जो पेटेंट जारी किया है, वह निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज को जारी करने का पचायत को कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार अधिकारों से परे जाकर ही नहीं है तथा तथाकथित नाम 150 बाड़े 90 अर्थात् 13500 वर्गफीट के क्षेत्रफल का पेटेंट तथाकथित पेटेंट में जो पेटेंट व नाम वर्णित किये उक्त पेटेंट व नाम का भूखण्ड माँके पर एवं फर्जी तौर पेटेंट जारी किया है जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। सरपंच द्वारा अपने परिवार, रिश्तेदार को नाजायज लाभ पहुंचाने की गंज से यह अवैध में दृष्टित तत्कालीन सरपंच श्री देवीसिंह जी राठौड़ सगे भाई है। इस प्रकार तत्कालीन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज श्री विना कलक्टर श्री राठौड़ एवं पेटेंट सूचना जारी किये बिना विधि विरुद्ध तरीके से जो पेटेंट जारी किया जाना बताया है वह न तत्समय कोई माँके का निरीक्षण करवाये बिना एवं कब्जे को देखे बिना एवं कोई आपत्ति कब्जा ही नहीं है एवं न ही ऐसा कोई भूखण्ड माँके पर ही मौजूद है। विपक्षी ग्राम पचायत



अति निम्न कालपर
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब
में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि पंचायत अण्डाली द्वारा किशनसिंह के एक
विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया, जो किस्मी भी कारण से निरस्त योग्य नहीं है। ग्राम
पंचायत अण्डाली के द्वारा पञ्चवली कमांक 36 दिनांक 13.11.1976 को सम्मत वैधानिक

1976 को जारी होना बताया है, उसे निरस्त किये का आदेश प्रदान करमाया जावे।

6 द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज के नाम जो पट्टा पञ्चवली संख्या 36 दिनांक 29.11.
रेकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। निवेदन है कि निगरानी स्वीकार करमायी जाकर विपक्षी संख्या
द्वारा उपयोग उपभोग किया जाना बताया। पंचायत में तथाकथित पट्टे की कोई पञ्चवली व
आये एवं मौके पर प्रार्थना व अन्य व्यक्तियों के मकान गुवाड़ी, व बाड़े वने होकर उनके
स्थिति की रिपोर्ट हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिस पर कमीशनर साहब मौका देखने
न्यायालय आरसीन्द के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक
उपयोग उपभोग कर रहे है। उस स्थान का पट्टा बताते हुए एक वादपत्र माननीय सिविल
निगराकारान व गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा वर्षों से पक्षे मकान, गुवाड़ी व बाड़ा बनाकर
किया जाना बताया है वहां वह पडौसी का मौके पर कोई भूखण्ड नहीं है फिर भी जहां
किया है, वह निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज को जो पट्टा जारी
पंचायत को कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार अधिकारों से परे जाकर जो पट्टा जारी
तथाकथित नाम 150 बाड़े 90 अर्थात् 13500 वर्गफीट के क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का
पडौस व नाम वर्णित किये उक्त पडौस व नाम का भूखण्ड मौके पर ही नहीं है तथा
जारी किया है जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। तथाकथित पट्टे में जो
परिवाहन, रिश्तेदार को नाजायज लाभ पहुंचाने की गंज से यह अवैध एवं कर्जी तौर पट्टा
सरपंच श्री देवीसिंह जी राठौड़ सगे भाई है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने
विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज श्री किशन सिंह जी राठौड़ एवं पट्टे से दर्शित तत्कालीन
विधि विरुद्ध तरीके से जो पट्टा जारी किया जाना बताया है वह निरस्त होने योग्य है।
निरीक्षण करवाये बिना एवं कब्जे बिना एवं कोई आपत्ति सूचना जारी किये बिना
ऐसा कोई भूखण्ड मौके पर ही मौजूद है। विपक्षी ग्राम पंचायत ने तत्समय कोई मौके का
पर श्री किशन सिंह जी का एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 का कोई कब्जा ही नहीं है एवं न ही
श्री किशनसिंह जी राठौड़ को जिस स्थान का पट्टा जारी किया जाना बताया, उक्त स्थान
विधि के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने अपने पूर्वज स्व०



भारत
आति विना कलक्टर
भारत

प्रक्रिया अपनाकर 150 गुणा 90 का पेटेंट दिनांक 29.11.1976 को पेटेंट जारी कर भूखण्ड का कब्जा सौंपा, तब से किशनसिंह जी उनके जीवकाल में काबिल चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी 01 से 05 नंबर कडीब 30 से 35 टोली पत्थर, और व कानों की बाड़ लगाकर चले आ रहे थे। पंचायत ने तत्समय समस्त प्रक्रिया धारा 251 से 266 पंचायत नियम 1961 की सम्यक पालना करते हुए पेटेंट जारी किया जो कि सी भी रूप में किशनसिंह व देवीसिंह सगे भाई अवश्य थे, लेकिन देवीसिंह जी निरस्त योग्य नहीं है। किशनसिंह व देवीसिंह सगे भाई अवश्य थे, लेकिन वैधानिक प्रक्रिया गुलाबपुरा में वकालत का कार्य करते थे और ग्राम पंचायत ने समस्त वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर बिना नाम परिवर्तन के नियमानुसार हकदार होने से जवाबदार के पूर्व ज किशनसिंह जी को पेटेंट जारी किया जो कि सी भी रूप में निरस्त योग्य नहीं है। पंचायत ने विधि समत तरीके से कानून की सीमा के अन्तर्गत पेटेंट जारी किया अगर निगराकार को कोई आपत्ति थी तो तत्समय ही करते लेकिन उन्होंने जानबूझकर दुर्भावना पूर्वक लगाम का 43 वर्ष की लम्बी अवधि गुजारने के बाद यह गलत दावा पेश किया। इस कारण उनका उक्त कथन चलने योग्य नहीं है और न ही पेटेंट निरस्त योग्य है। वादग्रस्त जगह का विपक्षी पिता के नाम पर पेटेंट बना हुआ है तथा पास में ही चरगाह भूमि स्थित है। जिसके चारों तरफ अन्य लोगों ने अधिकमण किया और अधिकमण करने के बाद विपक्षी के पेटेंट की तरफ अधिकमण करने लगे तो विपक्षी ने इस निगरानी से पूर्व ही श्रीमान सिविल न्यायालय आरसीनंद से प्रकरण संख्या 18/2015 पेश कर विपक्षी के कब्जे में देखलान्दाजी न करने व अपने मालिकाना हक की घोषणा करवाने का एक वाद पेश किया। जिसमें यथास्थिति का आदेश लगाते रहना आ रहा है। यहां यह भी लिखना उचित होगा कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में एडवोकेट श्री हरिश्चंद्र शर्मा को कमीशनर जारी किया जिसने मौका देखकर रिपोर्ट पेश की। जिस पर निगराकार गणपतलाल, रामदयाल, महावीर पुत्र भवसिंह ने कमीशनर रिपोर्ट के कब्जे के आधार पर प्रकरण बनाने के लिये आवेदन किया तब न्यायालय श्रीमान ने तीनों को प्रकरण में प्रकरण बनाने से मना कर दिया तथा उनका प्रकरण बनने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। कमीशनर द्वारा जो रिपोर्ट बनाई उसको भी माननीय श्रीमान सिविल न्यायालय महोदय आरसीनंद ने अपस्त कर दिया कमीशनर ने जानबूझकर निगराकार के कब्जे को दर्शात किया। जिससे न्यायालय श्रीमान ने उक्त रिपोर्ट को अपस्त कर दिया। ऐसी सूरत में इस निगरानी में उक्त कमीशनर रिपोर्ट के आधार पर अपना कब्जा बलाकर विपक्षी के पेटेंट को निरस्त करने काय है जो कि सी भी





श्रीलाला
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(ओम्प्रकाश महरा)

हस्ताक्षर खूले न्यायालय में रूनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद

अपटली तहसील आसीन्द जिला श्रीलाला को प्रेषित किया जावे।

जारी पट्टे को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जाती है। ग्राम पंचायत अपटली द्वारा पट्टा पत्रावली संख्या 36 दिनांकित 29.11.1976 से राज अखिनियम के तहत निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती

आदेश

तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं

देशी से बिना किसी ठोस कारण के पेश की गयी है।

निगरानी पट्टा जारी होने के पश्चात् लगभग 43 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी जो अत्यधिक उक्त विधिक दृष्टान्त इस प्रकार में भी चर्या होते हैं। निगराकार की

समस्या है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त करने में अपनायी गयी विवेकाधिकार की नीति राष्ट्रीय जायपुर द्वारा 39 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा अंतर्गत राहत पाने के अधिकार से वंचित करने के लिए प्रयाप्त होगी। अतिरिक्त कलेक्टर विलम्ब हुआ, तो यह परिस्थिति प्रतिवादी संख्या 04 को 1994 अखिनियम की धारा 97 के संबंधित भूमि पर याचिकाकर्ता के अधिकारों के सृजन के साथ साथ 39 वर्षों से अधिक पट्टा जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका दायर करने में न करने का निर्णय लेने में हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार जब ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण कारक है, जो पुनरीक्षण प्राधिकारी के लिए इस क्षैत्राधिकार का प्रयोग करने या जाता है, तो इस बीच हुयी अस्पष्टीकृत देशी और राष्ट्रीय पक्ष के अधिकारों का सृजन एक सरकार के 1994 अखिनियम की धारा 97 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षैत्राधिकार का प्रयोग किया